बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के स्तर पर विभिन्न न्यायिक वादों/मामलों में सरकार की ओर से तथ्य विवरणी/उत्तर तैयार करने हेतु ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित विषयों के जानकार एवं इच्छुक दक्ष एवं विद्वान अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करने के निमित्त आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। पैनल में 10 विद्वान अधिवक्ताओं को रखा जाना है।

2. इस हेतु इच्छुक अधिवक्ता प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपने बॉयोडाटा/अर्हता/दूरभाष/मोबाइल संख्या सहित अपनी अभिरूचि देते हुए आवेदन पत्र दे सकते हैं। विभाग में वर्तमान में सूचीबद्ध विद्वान अधिवक्ता भी इसमें आवेदन कर सकते हैं।

3. प्रत्येक तथ्य विवरणी तैयार करने हेतु विद्वान अधिवक्ताओं को वित्त विभाग के संकल्प सं0–3882 दिनांक–03.05.2023 के आलोक में 2000/– रू0 एवं तथ्य विवरणी प्रारूप की प्रति अंग्रेजी में टंकण (आशुलेखन सहित) हेतु रू0 500/– अर्थात् कुल रू0 2500/– (दो हजार पाँच सौ) देय होगा।

4. अधिवक्ताओं के चयन हेतु प्रक्रिया के निर्धारण तथा किसी भी आवेदन या सभी आवेदनों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

25/07/25

(अभय झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7/अ0प्र0–01–05/2025 पटना/दिनांक

प्रतिलिपिः–निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क बिहार, पटना को 05 (पाँच) अतिरिक्त प्रतियों के साथ (सी0डी0) तीन मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

25/07/25

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–7/अ0प्र0–01–05/2025 8163 पटना/दिनांक 28-7-25

प्रतिलिपिः–जूही कुमारी, सहायक निदेशक–सह जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/07/25

सरकार के संयुक्त सचिव